

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/टी0-01-07/2017- /स्वा0, डा0 मुकेश कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय-सह-प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय के पद का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0 / -  
(जगदीश कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/टी0-01-07/2017- 730(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 07/12/2017  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिलाधिकारी, लखीसराय/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/डा0 मुकेश कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,8,9,10 एवं 12/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी